न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2999–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–8–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 564/2014–15/अपील.

.....

1–रामकुवंरबाई पत्नि स्व.श्री मुंशीलाल
2–शीलाबाई पुत्री स्व0श्री मुंशीलाल
3–राधाबाई पुत्री स्व0श्री मुंशीलाल पत्नि धर्मेन्द्र सिंह
4–नंदराम पुत्र स्व0श्री मुंशीलाल
5–देवेन्द्र सिंह आ0स्व0श्री मुंशीलाल
6–लखन आ0स्व0श्री मुंशीलाल
निवासीगण ग्राम वीरपुर तहसील बेगमगंज,
जिला रायसेन म0 प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

जगदीश प्रसाद आ0श्री भगवानसिंह
निवासी ग्राम वीरपुर तहसील बेगमगंज,
जिला रायसेन म0 प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री डी0डी0मेघानी, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 7/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम वीरपुर तहसील बेगमगंज में स्थित भूमि रकबा 11.34 एकड़ मुंशीलाल, भगोनी, गणेशीबाई व दिलीपसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जिसमें दिलीपसिंह का 50 प्रतिशत हिस्सा है । दिलीपसिंह की मृत्यु के उपरांत अनावेदक द्वारा वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29–3–12 को आदेश पारित किया जाकर वसीयतनामें के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उभयपक्ष द्वारा समझौतानामा प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–3–2012 को आदेश पारित कर समझौतानामा को नहीं मानते हुये तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–8–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष दो पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा केवल अनावेदक की अपील स्वीकार की गई है और आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील का कोई निराकरण नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त के समक्ष केवल इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई थी कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समझौता निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । वसीयत पर कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतनामा फर्जी है । यह भी कहा गया कि दिलीपसिंह की मृत्यु कब हुई यह उल्लेख नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं हुआ है और वह संयुक्त

स्वामित्व की भूमि है और बिना बटवारा हुये वसीयत निष्पादित नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण के अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि में भगोनी एवं गणेशीबाई सहखातेदार है, परन्तु उन्हें बिना पक्षकार बनाये यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि पक्षकार के अंसयोजन के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) दिलीप सिंह का रकबा 11.34 एकड़ में 50 प्रतिशत के हिस्सेदार था और सहखातेदार की भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है इसलिये यह मानने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं होना था इसलिये उसे वसीयत करने का अधिकार नहीं था ।

(3) चूँकि दिलीपसिंह द्वारा अपनी सम्पूर्ण चल व अचल संपति की वसीयत अनावेदक के पक्ष में की है इसलिये यह जरूरी नहीं है कि वसीयतनामा में कोई अन्य विवरण अंकित किया जाये ।

(4) तहसीलदार के समक्ष मुंशीलाल ने स्वयं स्वीकार किया था कि दिलीपसिंह की मृत्यु मंहत जगन्नाथ के पास हुई थी, अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(5) तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् वसीयतनामें को संदेह से परे सिद्ध किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अनावेदक का नामान्तरण करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 एवं 68 के प्रावधानों के अनुसार वसीयतनामे को प्रमाणित नहीं किया गया है । यहॉ तक कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर प्रमाणित करने में अनावेदक असमर्थ रहा है । गवाहों के हस्ताक्षरों में भी प्रथमदृष्टया मिलान नहीं होता है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना

वसीयतनामा को विधि अनुसार प्रमाणित नहीं कर आदेश पारित किया गया है अतः तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः विधिसंगत एवं उचित कार्यवाही की गई है । अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर